आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 72/11** **हरेन्द्र प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1781/गो0 दिनांक 28.9.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.9.11 को अपराह्न 1.00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा हरेन्द्र प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 101/07, पंचायत–नगर पंचायत, थाना–मढ़ौरा, प्रखंड–मढ़ौरा की दूकान की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी: 1. जन वितरण प्रणाली विकेता के दुकान पर जाँच दल पहुँचने के पश्चात् दुकानदार दुकान छोड़कर फरार हो गए। इनके किसी भी परिवार के सदस्य के द्वारा दुकान से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं की गयी। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. आपकी अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की समुचित जाँच नहीं की जा सकी। 4. अपने दूकान में बी.पी.एल. चावल योजना से संबंधित भंडार पंजी/वितरण पंजी परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में समानता नहीं पायी गयी। 5. विकेता के परिवार के सदस्यों द्वारा स्टॉक पंजी ।वेतरण पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।	

6. जॉच पदाधिकारी को संबद्ध उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं किया जाना।

उक्त अनियिमतताओं के आलोक मे अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1608 / गो0 दिनांक 11.9.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी, जिसमें विक्रेता को निदेश दिया गया कि दिनाक 13.9.11 को अपराह्न 2.00 बजे सभी कागजातों यथा, बी.पी.एल. / अन्त्योदय / चीनी के स्टॉक पंजी / वितरण पंजी / उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन / कैशमेमो / प्रखंड कार्यालय, मढौरा से प्राप्त उपभोक्ता की सत्यापित प्रति मूल प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता जॉच के समय दूकान छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि अपनी मॉ की ईलाज हेतु 12.30 बजे दूकान बंद कर मढौरा डॉ0 के यहॉ गए थे। दूकान बंद रहने के कारण परिवार वालों के द्वारा कोई कागजात या पंजी उपलब्ध करना संभव नहीं हो सका। सूचनापट्ट सही तरीके से संधारित किया गया था। चूँकि दूकान बंद थी, इसलिए कोई भी पंजी जॉच दल को जॉचार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया था। ऐसी परिस्थिति में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में भिन्नता पाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहॉ तक अपीलार्थी के द्वारा उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न है। उस संबंध में कहना है कि संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को जॉच की तिथि तक उपभोक्ताओं की कोई भी सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जिससे अपीलार्थी के द्वारा उपभोक्ता सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। एक अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि जन वितरण प्रणाली की किसी दूकान के केवल बंद रहने को आधार मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने जैसी गंभीर सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसी परिस्थति में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं विधि सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कई

कमियाँ दृष्टिगोचर हो रही है। दूकान के अपरिहार्य कारणवश बंद रहने की स्थिति में परिवार वालों के द्वारा जब कोई कागजात या पंजी जाँच दल को जाँचार्थ प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, तो बी.पी.एल. के भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में असमानता पाए जाने की बात संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कुछ कमियाँ पायी गयी हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई भी द्वितीय कारणपृच्छा अपीलार्थी से नहीं की गयी एवं अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कागजातों में पायी गयी अनियमितताओं को आधार बनाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित प्रतीत होती है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमाड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 51 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
29/1/15